क्रम संख्या–06

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0
पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 14/XXXVI(3)/2010/19(1)/2009
देहरादून, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009' पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2010)

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अग्रतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

2—पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष, 2003) में जहाँ—जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है वहाँ "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (झ), (म), (ल) तथा (त्र) का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च), (झ), (म), (ल) तथा (त्र) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे; अर्थात्—

"(च) 'संगठक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के भीतर अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है;"

"(झ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' का तात्पर्य राज्य के भीतर शिक्षा की उस पद्धति से है जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों, जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूर—दृश्य प्रसारण (टेलीकास्टिंग), इन्टरनेट पर आनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई—मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, ई—लर्निंग पत्राचार पाठ्यक्रम, या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;"

"(म) 'क्षेत्रीय केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो;"

"(ल) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य राज्य के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र से है जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो;"

"(त्र) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय से है जिसकी समस्त गतिविधियाँ उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होंगी और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों और दिशा निर्देशों का पालन करेगा;"

धारा 4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में स्थित होगा तथा जैसा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये वह राज्य के भीतर तथा अन्य स्थानों पर भी परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों एवं कैरियर एकेडमी सेन्टर्स की स्थापना कर सकेगा।"

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 विधायी / 41—2010—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।